



अंतरिम बजट 2024-2025

प्रलम्ब के लिये:

पूँजीगत व्यय, राजकोषीय घाटा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, लखपति दीदी, नमो भारत, नैनो-DAP, सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण, रूफटॉप सोलराइजेशन, PM- स्वच्छता, मुद्रा योजना, फसल बीमा योजना, कोयला गैसीकरण आयुष्मान भारत, तल्लिबुआयामी नरिधनता, वभिन्न क्षेत्रों में सरकारी नविश के वतिरण का क्रम

मेन्स के लिये:

अंतरिम बजट 2024-2025 में प्रमुख विकास योजनाएँ

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संसद में अंतरिम बजट 2024-25 प्रस्तुत किया गया। इसमें सर्वांगीण, सर्वव्यापी तथा सर्व-समावेशी विकास के साथ वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' की परिकल्पना की गई है।

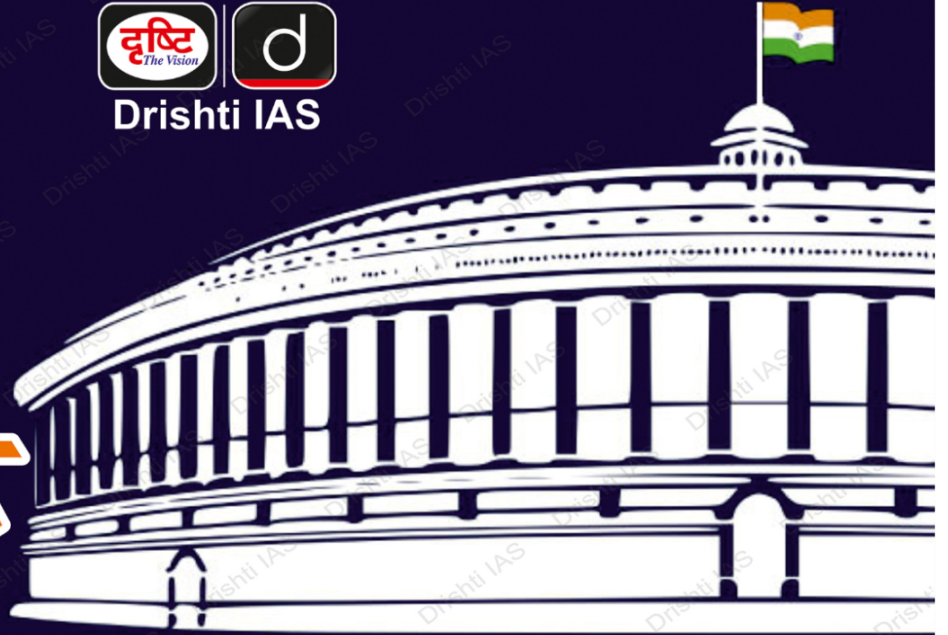
अंतरिम बजट क्या है?

- अंतरिम बजट एक ऐसी सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो संक्रमण काल से गुजर रही है या आम चुनाव से पूर्व अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में है।
- अंतरिम बजट का उद्देश्य नई सरकार के कार्यभार संभालने के बाद पूर्ण बजट पेश करने तक सरकारी व्यय तथा आवश्यक सेवाओं की नरितरता सुनिश्चित करना है।

अंतरिम बजट और लेखानुदान के बीच क्या अंतर है?

वशिष्टता	अंतरिम बजट	लेखानुदान
सांविधानिक उपबंध	अनुच्छेद 112	अनुच्छेद 116
उद्देश्य	आम चुनाव से पूर्व सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया वतितीय वविरण।	बजट स्वीकृत होने तक सीमति अवधि के लिये आवश्यक सरकारी व्ययों की पूर्ति करना।
व्यय की अवधि	इसमें अमूमन नई सरकार स्थापति होने तथा पूर्ण बजट पेश होने तक कुछ महीने की अवधि शामिल होती है।	अनुदान की राशि सामान्यतः पूरे वर्ष के लिये कुल अनुमानित व्यय के छठे हसिसे के बराबर दो महीने के लिये प्रदान की जाती है।
नीतिपरिवर्तन	इसके अंतर्गत कर व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव दे सकते हैं।	किसी भी परसिथिति में कर व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
शासन व्यवस्था पर प्रभाव	दो सरकारों के बीच संक्रमण काल के दौरान शासन में नरितरता प्रदान करता है।	नयिमति बजट स्वीकृत होने तक सरकार और सार्वजनिक सेवाओं का सुचारू कामकाज सुनिश्चित करता है।

केंद्रीय बजट



एक वित्त वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण

अनुच्छेद 112 (भाग V)

- भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है।

भारत के संविधान में कहीं भी 'बजट' शब्द का उल्लेख नहीं है

बजट तैयार करने हेतु नोडल निकाय

- बजट प्रभाग (आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय) नीति आयोग और संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से

स्वतंत्र भारत का पहला बजट वर्ष 1947 में प्रस्तुत किया गया था।

बजट के प्रमुख घटक

- राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान
- राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन
- व्यय अनुमान
- समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियाँ/व्यय (+कमी/अधिपेश)
- आने वाले वित्तीय वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीति

वर्ष 2017 तक, भारत सरकार द्वारा 2 बजट पारित किये जाते थे- रेल बजट और आम बजट

बजट के चरण

- प्रस्तुति
- आम चर्चा
- विभागीय समितियों द्वारा जाँच
- अनुदान मांगों पर मतदान
- विनियोग विधेयक पारित करना
- वित्त विधेयक पारित करना



भारत का संविधान बजट के लिये अन्य कौन-से प्रावधान करता है ?

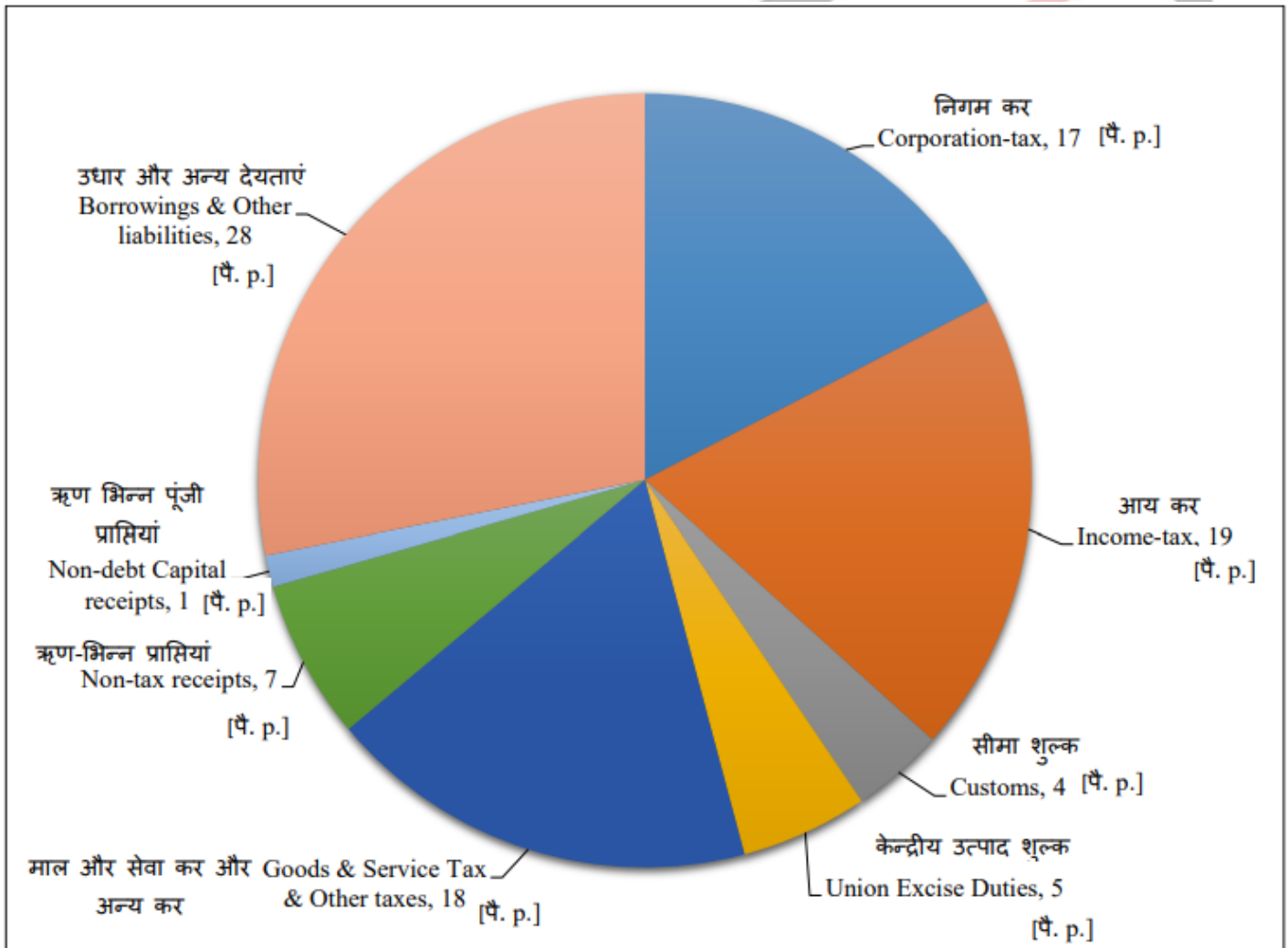
- राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना:
 - अनुदान की मांग नहीं की जा सकती
 - करारोपण वाला कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है
- कानून द्वारा किये गए विनियोग के अलावा भारत की संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकता
- संसद की भूमिका:
 - धन/वित्त विधेयक (करारोपण को शामिल करते हुए) - केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है
 - अनुदान की मांग पर मतदान - राज्यसभा के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है।
 - धन/वित्त विधेयक - 14 दिनों के भीतर राज्यसभा द्वारा लोकसभा को वापिस भेज दिया जाता है।
 - ♦ लोकसभा, राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकता है।

अंतरिम बजट 2024-25 से संबंधित प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

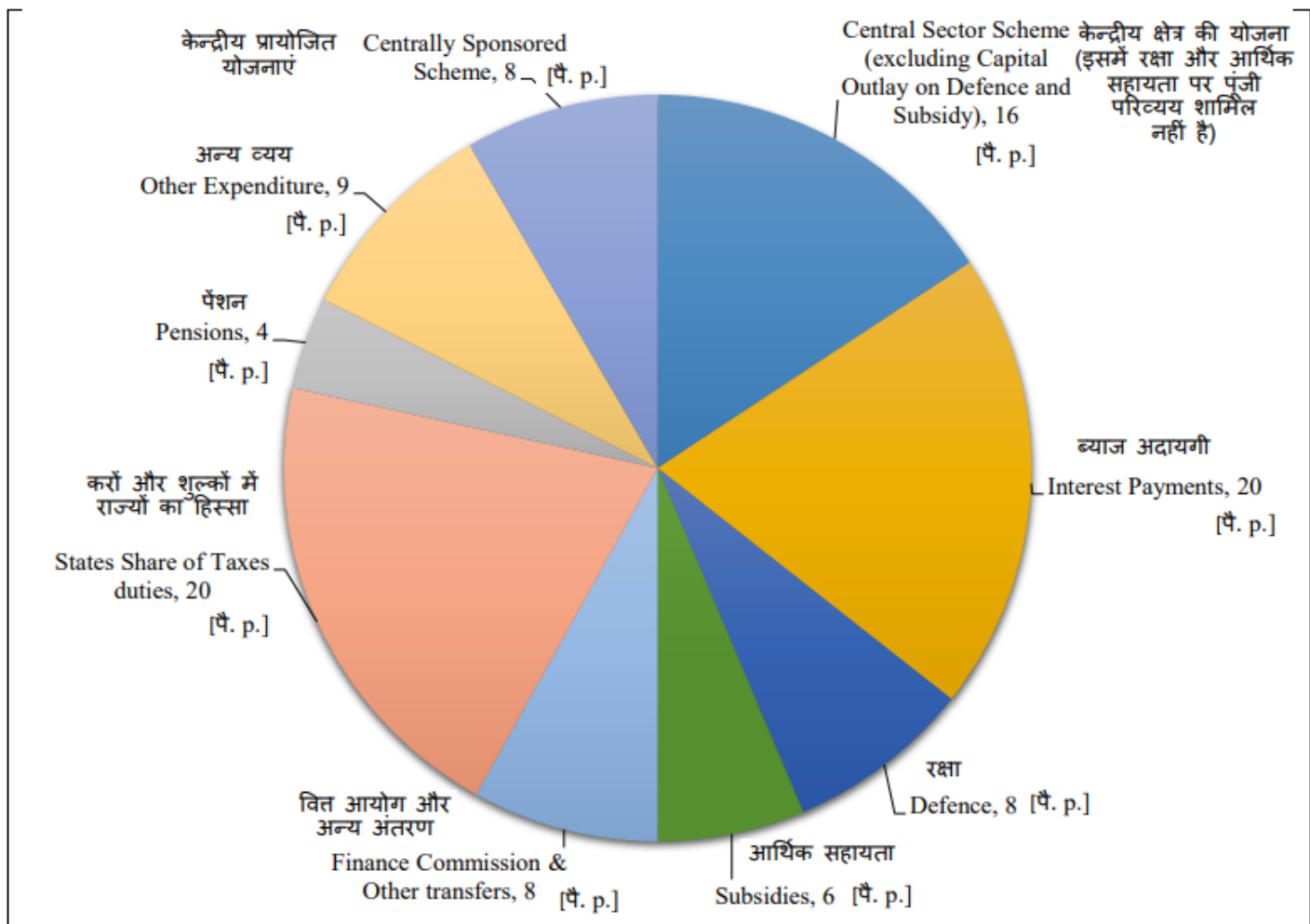
- **पूँजीगत व्यय:** वर्ष 2024-2025 के लिये **पूँजीगत व्यय** में 11.1% की वृद्धि की घोषणा की गई।
 - पूँजीगत व्यय को बढ़ाकर **11,11,111 करोड़ रुपए** किया गया जो **सकल घरेलू उत्पाद का 3.4%** होगा।
- **आर्थिक विकास अनुमान:** वित्त वर्ष 2023-24 के लिये वास्तविक GDP वृद्धि दर **7.3%** रहने का अनुमान है, जो RBI के संशोधित विकास अनुमान के अनुरूप है।
 - **अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund- IMF)** ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिये भारत के विकास अनुमान को बढ़ाकर **6.3%** कर दिया। इसका यह भी अनुमान है कि वर्ष 2027 में भारत **तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था** बन जाएगा।
- **राजस्व तथा व्यय अनुमान (2024-25):**
 - **कुल प्राप्तियाँ:** ऋण ग्रहण के अतिरिक्त 30.80 लाख करोड़ रुपए की कुल प्राप्तियाँ होने का अनुमान है।
 - **कुल व्यय:** अनुमानित रूप से 47.66 लाख करोड़ रुपए का कुल व्यय।
 - **कर प्राप्तियाँ:** अनुमानित रूप से 26.02 लाख करोड़ रुपए की कुल कर प्राप्तियाँ।
- **GST संग्रह:** **GST संग्रह** दिसंबर 2023 में **₹1.65 लाख करोड़** रहा है जो सातवीं बार सकल GST राजस्व 1.6 लाख करोड़ रुपए के आँकड़ों के पार चला गया है।
- **राजकोषीय घाटा तथा बाज़ार ऋण-ग्रहण:** **राजकोषीय घाटा** वर्ष 2024-25 में GDP का **5.1** प्रतिशत रहने का अनुमान है जो वर्ष 2025-26 तक इसे **4.5%** से कम करने (बजट 2021-22 में घोषित) के लक्ष्य के अनुरूप है।
 - वर्ष 2024-25 के दौरान **दैनिकी प्रतिभूतियाँ (Dated Securities)** के माध्यम से सकल तथा नविल बाज़ार ऋण-ग्रहण क्रमशः **14.13** तथा **11.75 लाख करोड़ रुपए** रहने का अनुमान है।
- **करारोपण:** अंतरिम बजट में आयात शुल्क सहित **प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की मौजूदा दरों को बनाए रखा गया है।**
 - **कॉर्पोरेट करों के लिये:** मौजूदा घरेलू कंपनियों हेतु 22% और कुछ नई विनिर्माण कंपनियों के लिये 15%।
 - नई कर व्यवस्था के तहत **7 लाख रुपए** तक की आय वाले करदाताओं के लिये कोई कर देनदारी नहीं।
 - **स्टार्ट-अप और नविन** के लिये कुछ कर लाभ 31 मार्च, 2025 तक एक वर्ष हेतु बढ़ाए गए।
- **प्राथमिकताएँ:** गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करना।
 - **गरीब:** 25 करोड़ लोगों को **बहुआयामी गरीबी** से बाहर निकालने का सफल अभियान।
 - **PM-स्वनिधि** के तहत **78 लाख स्टरीट वेंडर्स को क्रेडिट** सहायता प्रदान की गई।
 - **महिला:** महिला उद्यमियों को 30 करोड़ **मुद्रा योजना** ऋण का वितरण।
 - **STEM पाठ्यक्रमों** में 43% महिला नामांकन।
 - 83 लाख स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1 करोड़ महिलाओं को सहायता, **'लक्ष्मी दीदी'** को बढ़ावा देना।
 - एक दशक में **उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में 28%** की वृद्धि।
 - **युवा:** **कौशल भारत मिशन** के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण।
 - **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना** के तहत 43 करोड़ ऋण स्वीकृत करके उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को बढ़ावा देना।
 - **किसान:** **प्रधानमंत्री किसान सममान निधि (PM-KISAN)** के तहत 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
 - फसल बीमा योजना के माध्यम से 4 करोड़ किसानों तक **फसल बीमा पहुँचाया** गया।
 - सुव्यवस्थित कृषि व्यापार के लिये **राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (eNAM)** के तहत 1,361 मंडियों का एकीकरण।
- **प्रमुख विकास योजनाएँ:**
 - **आधारभूत संरचना:**
 - **रेलवे:** तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रम लागू किये जाएंगे- **ऊर्जा, खनजि और सीमेंट कॉरिडोर, बंदरगाह कनेक्टिविटी कॉरिडोर तथा उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर**।
 - बेहतर सुरक्षा, सुविधा और यात्री सुविधा के लिये **40 हजार सामान्य रेल डब्बों को बंदे भारत** मानकों के अनुरूप परिवर्तित किया जाएगा।
 - **वमिनन:** **उड़ान योजना** के तहत मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार और नए हवाई अड्डों का व्यापक विकास।
 - **शहरी परिवहन:** मेट्रो रेल और **नमो भारत** के माध्यम से शहरी परिवहन को बढ़ावा देना।
 - **स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र:**
 - पवन ऊर्जा के लिये व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण
 - यह **1 गीगावाट की प्रारंभिक क्षमता के लक्ष्य के साथ अपतटीय पवन ऊर्जा** क्षमता का दोहन करने में मदद करेगा।
 - वर्ष 2030 तक **100 मिलियन टन की कोयला गैसीकरण** एवं द्रवीकरण क्षमता की स्थापना।
 - CNG, PNG और **संपीडित बायोगैस** का चरणबद्ध अनिवार्य सम्मिश्रण।
 - बायोमास एकत्रीकरण मशीनरी की खरीद के लिये वित्तीय सहायता
 - **रूफटॉप सोलर:** 1 करोड़ परिवार प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
 - विनिर्माण और चार्जिंग का समर्थन करके **ई-वाहन पारिस्थितिकी तंत्र** को मज़बूत करना।
 - पर्यावरण अनुकूल विकल्पों का समर्थन करने के लिये **बायोमैनुफैक्चरिंग और बायो-फाउंड्री की नई योजना** शुरू की जाएगी।
 - **आवास क्षेत्र:** सरकार की योजना ग्रामीण क्षेत्रों में **30 मिलियन कफ़ायती घरों के निर्माण पर सब्सिडी** देने की है।
 - मध्यम वर्ग को अपना घर खरीदने/बनाने के लिये **प्रोत्साहित** करने हेतु मध्यम वर्ग के लिये आवास योजना शुरू की जाएगी।
 - **स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र:** लड़कियों (9-14 वर्ष) के लिये **सर्वाइकल कैंसर** टीकाकरण को प्रोत्साहित करना।
 - **मिशन इंदरधनुष** के टीकाकरण प्रयासों के लिये **यू-बि प्लेटफॉर्म** शुरू किया जाएगा।
 - सभी **आशा कार्यकर्ताओं, आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं** और सहायिकाओं को शामिल करने के लिये **आयुष्मान भारत योजना** का विस्तार करना।

- **कृषि क्षेत्र:** सभी कृषि-जिलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों के लिये '**नैनो DAP**' के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
 - डेयरी किसानों को समर्थन देने और **खुरपका एवं मुंहपका रोग** से निपटने के लिये नीतियाँ बनाना।
 - **तलहिन** में आत्मनिर्भरता के लिये रणनीति बनाना, अनुसंधान, खरीद, मूल्य संवर्धन और फसल बीमा को कवर करना।
 - **नैनो-DAP (डाई-अमोनियम फॉस्फेट) भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited - IFFCO)** द्वारा विकसित एक नैनो तकनीक आधारित कृषि इनपुट है। यह खड़ी फसलों में **नाइट्रोजन और फास्फोरस** की कमी को पूर्ण करने में मदद करता है।
- **मत्स्य पालन क्षेत्र:** मछुआरों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये एक नया विभाग, '**मत्स्य सम्पदा**' की स्थापना।
- **राज्यों के कैपेक्स के लिये:** राज्यों को पूंजीगत व्यय हेतु **पचास वर्ष की ब्याज मुक्त ऋण योजना** जारी रखने की घोषणा की गई।
 - राज्य के नेतृत्व वाले सुधारों का समर्थन करने के लिये पचास वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण हेतु 75,000 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ **1.3 लाख करोड़ रुपये** का कुल परवियय।
 - पूर्वी क्षेत्र को भारत के विकास का एक शक्तिशाली चालक बनाने के लिये विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- **अन्य:**
 - **सूर्योदय डोमेन** में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिये पचास साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ **1 लाख करोड़ रुपये** के कोष की स्थापना।
 - साथ ही, अनुसंधान और नवाचार में नज़ी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है।
 - **तीव्र जनसंख्या वृद्धि** और जनसांख्यिकीय बदलाव के लिये सरकार एक **उच्चाधिकार प्राप्त समिति** बनाएगी।
 - समिति '**विकसित भारत**' के लक्ष्य के अनुरूप व्यापक सफ़ाई परियोजनाएँ प्रदान करेगी।

रुपया कहाँ से आता है (Rupee Comes From):



रुपया कहाँ जाता है (Rupee Goes To):



प्रमुख स्कीमों के लिए आवंटन (₹ करोड़ में)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना



2023-24(ब.अ.) 2024-25(ब.अ.)

आयुष्मान भारत - पीएमजेएवाई



2023-24(ब.अ.) 2024-25(ब.अ.)

उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना



2023-24(ब.अ.) 2024-25(ब.अ.)

सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले विनिर्माण पारितंत्र के विकास हेतु संशोधित कार्यक्रम



2023-24(ब.अ.) 2024-25(ब.अ.)

सौर ऊर्जा (ग्रिड)



2023-24(ब.अ.) 2024-25(ब.अ.)

राष्ट्रीय हरित हाईड्रोजन मिशन



2023-24(ब.अ.) 2024-25(ब.अ.)

भारत में बजट से संबंधित नधिकाया हैं?

- **भारत की संचति नधि:** संवधान का अनुच्छेद 266 (1) केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ऋण और ऋण पुनर्भुगतान को एक एकल नधि में समेकित करता है जसि **भारत की संचति नधि** के रूप में जाना जाता है।
 - नकिसी के लयि संसद की अनुमतकी आवश्यकता होती है (न्यायाधीशों के वेतन जैसे आरोपति व्यय को छोड़कर)।
- **भारत का लोक लेखा:** संवधान के अनुच्छेद 266(2) के अनुसार भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य लोक धनराशियाँ भारत के लोक लेखों में जमा की जाती हैं।
 - सरकार धन को इधर से उधर स्थानांतरति करने वाले बैंकर के समान कार्य करती है इसलयि संसद की अनुमत आवश्यक नहीं है।
- **भारत की आकस्मकि नधि:** इसे भारतीय आकस्मकिता नधि अधिनियम, 1950 के तहत स्थापति किया गया है और अनुच्छेद 267(1) के अनुसार अग्रदाय के रूप में कार्य करती है। इस नधि को भारत की आकस्मकि नधि कहा जाता है।
 - यह वतितीय वर्ष के दौरान अप्रत्याशति खर्चों के लयि सरकार को अग्रमि राशिकी पेशकश करने के उद्देश्य से कार्य करती है, जो संसद द्वारा प्राधिकरण के लयि लंबति है।
 - आकस्मकि नधि से निकाली गई धनराशिको अनुदान की अनुपूरक मांगों के माध्यम से संसदीय अनुमोदन पर पुनः जमा कर दिया जाता है।

?????????:

प्रश्न. "लेखानुमोदन" और "अंतरिम बजट" में क्या अंतर है? (2011)

1. स्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान उपयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार "अंतरिम बजट" के प्रावधान का प्रयोग करती है।
2. लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा अवती दोनों सम्मिलित होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

प्रश्न. जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया जाता है, तो (2011)

- (a) बजट को संशोधित कर पुनः प्रस्तुत किया जाता है।
- (b) बजट को सुझावों के लिये राज्यसभा में भेजा जाता है।
- (c) केंद्रीय वित्त मंत्री को इस्तीफा देने के लिये कहा गया है।
- (d) प्रधानमंत्री मंत्रपरिषद का इस्तीफा सौंपता है।

उत्तर: (d)

प्रश्न. वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण (The Macro Economic Framework Statement) भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख नमिन आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है: (2020)

- (a) चरिकालिक संसदीय परंपरा के कारण
- (b) भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 तथा अनुच्छेद 110 (1) के कारण
- (c) भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के कारण
- (d) राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के कारण

उत्तर : (d)

प्रश्न. संघ की सरकार के संदर्भ में नमिनलखित कथनों पर विचार कीजिये: (2015)

1. राजस्व विभाग, संसद में पेश किये जाने वाले केंद्रीय बजट की तैयारी के लिये उत्तरदायी है।
2. भारत की संसद की प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचति नधिसे नकाला नहीं जा सकता।
3. लोक लेखा से किये जाने वाले सभी संवितरणों के लिये भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 2
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

प्रश्न. नमिनलखित मे से कौन-सी वधियाँ भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती हैं? (2012)

1. संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना
2. वनियोग वधियक के पारित होने के बाद ही भारत की संचति नधिसे मुद्रा नकाल पाना
3. अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदान का प्रावधान
4. संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नयितकालिक अथवा कम-से-कम मध्यवर्षीय पुनरावलोकन

5. संसद में वित्त वधियक को प्रस्तुत किया जाना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1, 2, 3 और 5
- (b) केवल 1, 2 और 4
- (c) केवल 3, 4 और 5
- (d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (a)

प्रश्न. संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुत के लिये नमिनलखिति में से कौन ज़म्मेदार है?(2010)

- (a) राजस्व विभाग
- (b) आर्थिक मामलों का विभाग
- (c) वित्तीय सेवा विभाग
- (d) व्यय विभाग

उत्तर: (b)

प्रश्न. साल दर साल लगातार घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिये सरकार द्वारा नमिनलखिति में से कौन-सी कार्रवाई/कार्रवाईयाँ की जा सकती है/हैं? (2016)

- 1. राजस्व व्यय को घटाना
- 2. नई कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ करना
- 3. सहायिकी (सब्सिडी) को युक्ता बनाना
- 4. आयात-शुल्क कम करना

नीचे दिये गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न. पूंजी बजट और राजस्व बजट के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिये। इन दोनों बजटों के संघटकों को समझाइये। (2021)

प्रश्न. उदारीकरण के बाद की अवधि के दौरान बजट बनाने के संदर्भ में सार्वजनिक व्यय प्रबंधन भारत सरकार के लिये एक चुनौती है। स्पष्ट कीजिये। (2019)

प्रश्न. भारत के 14वें वित्त आयोग की संसुतियों ने राज्यों को अपनी राजकोषीय स्थिति सुधारने में कैसे सक्षम किया है? (2021)

प्रश्न. वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003 को प्रारंभ करने के क्या कारण थे? उसके प्रावधानों और उनकी प्रभावता का समालोचनात्मक विवेचन कीजिये। (2013)